International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 04, No. 04(II), October - December, 2022, pp. 101-104

महिलाओं के विरूद्ध शारीरिक अपराधों को बढ़ावा देता सोशल मीडिया

पुष्पा शर्मा*

प्रस्तावना

सोशल मीडिया जिसने बड़ी आबादी के जीवन में प्रवेश किया है। कनेक्टिविटी लक्ष्यों में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों योगदान देता है। सन 2019 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में इन्टरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या आधा बिलियन तक पहुंच गई है तथा शहरी क्षेत्रों में हर साल 10 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। इन इन्टरनेट उपयोगकर्ताओं में 35 फीसदी महिलाऐं है। सोशल मीडिया नेटवर्क का प्रसार हुआ है। हालांकि दुनिया भर में महिलाओं की अपेक्षा पुरूषों द्वारा इन्टरनेट का अधिक उपयोग किया जा रहा है। पिछले 10 वर्षो में सोशल मीडिया दुनिया भर में तेजी से प्लेट फार्मो के साथ साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। आज कल के सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेट फार्म ट्वीटर और फेसबुक हैं। इन प्लेट फार्मो ने लोगों के जीवन पर सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक प्रभाव डालना शुरू कर दिया है।

सोशल मीडिया प्लेट फार्म के उपयोगकर्ताओं को समय और स्थान की बाधाओं पर काबू पाने, सामाजिक पूंजी बनाने और पारस्परिक संबंधों का पोषण करने की अनुमति देते है। भारत में दो तिहाई से अधिक युवा अपने परिवार और दोस्तों के सम्पर्क में रहने के लिए सोशल मीडिया का उपयेाग करते है। ये मंच मनोरंजन, सूचना–साझाकरण और मनोसामाजिक समर्थन के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। हम जितनी तेजी से डिजीटल दुनिया की ओर बढ़ रहे है ठीक उतनी ही तेजी से साईबर अपराधें की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। जिस गति से तकनीक ने उन्नति की है उसी गति से मनुष्य की इन्टरनेट पर निर्भरता भी बढ़ी है। एक ही जगह पर बेठकर इन्टरनेट के जरिये मनुष्य की पहुंच विश्व के हर कोने तक आसान हुई है। आज के समय में हर वो चीज जिसके विषय में इंसान सोच सकता है, उस तक उसकी पहुंच इन्टरनेट के माध्यम से हो सकती है। इन्टरनेट के विकास और इसके संबंधित लाभों के साथ साईबर अपराधों की अवधारणा भी विकसित हुई है।

इस लेख में महिलाओं के विरूद्ध बढ़ते हुए साईबर अपराध, उनके प्रकार, बचाव के उपाय और सरकार के द्वारा किये गये प्रावधानों पर विमर्श किया गया है। इसके साथ ही साईबर अपराधों में सोशल नेटवर्क की साईट्स की भुमिका का भी मुल्यांकन किया जायेगा।

साईबर अपराध क्या है

यह एक आपराधिक गतिविधि है, जिसे कम्प्यूटर व इन्टरनेट के उपयोग द्वारा अंजाम दिया जाता है। साईबर अपराध जिसे इलेक्ट्रोनिक अपराध के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसा अपराध है, जिसमें किसी अपराध को करने के लिए कम्प्यूटर, नेटवर्क, डिवाईस या नेटवर्क का उपयोग एक वस्तु या उपकरण के रूप में किया जाता है अर्थात जहां इन सभी उपकरणों के जरिये अपराधों को अंजाम दिया जाता है। ऐसे अपराधों में साईबर जबरन वसूली, पहचान चोरी, कम्प्यूटर से व्यक्तिगत डेटा हैक करना, अवैध डाउनलोडिंग, साईबर स्टॉकिंग, साईबर उत्पीड़न सहित कई प्रकार की गतिविधि शामिल है।

* शोधार्थी, विधि, श्याम युनिवर्सिटी, लालसोट, दौसा, राजस्थान।

वर्तमान समय में भारत में महिलाओं के विरूद्ध होने वाले साईबर अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे अपराध यद्यपि ऑनलाईन होते है, परन्तु वे वास्तविकता में महिलाओं के जीवन को प्रभावित करते है। महिलाओं के विरूद्ध होने वाले साईबर अपराधों में मुख्यतः मानहानि, साईबर पोर्नोग्राफी, साईबर उत्पीड़न, साईबर स्टॉकिंग, चाईल्ड पोर्नोग्राफी का वितरण, विभिन्न प्रकार की स्पूफिंग, मॉर्फिता मानव तस्करी, पहचान की चोरी और ऑनलाईन बदनाम किया जाना आदि शामिल हैं। साईबर अपराध की इस श्रेणी में महिलाओं के विरूद्ध दुर्भावनापूर्ण या अवैध जानकारी को ऑनलाईन लीक कर दिया जाता है। भारत में हर दूसरे सेकेण्ड में एक महिला साईबर अपराधों का शिकार होती है और ऑनलाईन प्लेटफार्म अब एक नया मंत्र है जहां हर पल एक महिला की गरिमा, गोपनियता और सुरक्षा को चुनौती दी जा रही है। ट्रोलिंग, गाली–गलोच, धमकी देना, घूरना, बर्बरता, बदनाम करना, पीछा करना, बदला लेना और अश्लील बातें करना जैसे अपराध समाज में व्याप्त है। महिलाओं के खिलाफ साईबर अपराधों में, प्रभाव शारीरिक से अधिक मानसिक है, जबकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले कानूनों का ध्यान मानसिक नुकसान की तुलना में शारीरिक तौर पर अधिक है।

महिलाओं के विरूद्ध पिछले 4 साल में साईबर अपराध के मामलों में 77 फीसदी बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज्यादा मामले कर्नाटक और महाराष्ट्र में सामने आऐं है। चण्डीगढ़ युनिवर्सिटी में छात्राओं के नहाने के वीडिया (एम.एम.एस.) बनाकर उसे वायरल करने के मामले में पूरे देश को हिला दिया है। इससे एक बार फिर तकनीकी के डोर में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिये है। मोबाईल या कैमरे से इस तरह इण्टरनेट पर अश्लील वीडिया या कन्टेन्ट पब्लिक करना या रिकार्ड करना साईबर क्राईम के तहत आता है। महिलाओं के विरूद्ध साईबर क्राईम के अपराध बहुत तेजी बढ़ रहे है।

नेशनल क्राईम रिकार्ड ब्यूरों 2021 के आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में महिलाओं के विरूद्ध साईबर क्राईम के 10,730 मामलें दर्ज हुए है, इसमें साईबर पॉर्नोग्राफी, होस्टिंग, अश्लील मेटरियल को पब्लिश करने के सबसे ज्यादा मामले है। इसके तहत साईबर स्टॉकिंग, साईबर बुलिंग, साईबर मॉर्फिंग, बदनामी करने के 1150 मामले दर्ज हुए है। इसी तरह महिलाऐं ऑनलाईन ब्लेकमेलिंग और फेक प्रोफाईल के जरिये भी साईबर अपराधों की शिकार हो रही है।

संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में केवल 35 फीसदी महिलाओं ने ही अपने खिलाफ हुए साईबर अपराध की शिकायत की वहीं साईबर अपराध से पीड़ित लगभग 46.7 फीसदी महिलाओं ने किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की, इसी के साथ लगभग 18.3 फीसदी महिलाओं को तो इसका अंदाजा भी नहीं था कि वे साईबर अपराध की शिकार हो रही है। महिलाओं को निशाना बनाकर सबसे ज्यादा जिस अपराध को अंजाम दिया जाता है वह है – साईबर वर्ड में पीछा करना, पीछे से हमला करना, बार–बार टेक्स्ट मैसेज भेजना, फोन पर मिस्ड्कॉल करना, फ्रेण्ड रिक्वेस्ट भेजना, स्टेटस अपडेट पर नजर रखना, इन्टरनेट मॉनिटरिंग करना आदि। आई.पी.सी. की धारा 354डी के तहत यह दण्डनीय अपराध है। हालांकि आम तौर पर ऐसे मामलों को सामने लाने से महिलाऐं हिचकती है, जिसके कारण साईबर क्राईम करने वालों का होसना बढ़ जाता है। महिलाओं के फोटो लगाकर सोशल साईट्स पर अकाउन्ट बनाने के मामले लगातार बढ़ रहे है। ऐसे में इसकी जानकारी मिलते ही सही कदम उठाना नितांत आवश्यक है।

क्या करें क्या ना करें

- साईबर अपराधों से निपटने के लिए कानून बनाया गया है, लेकिन इन अपराधों से स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए महिलाऐं अपनी तरफ से भी कुछ सावधानियां बरतकर इन समस्याओं से बच सकती है और बिना किसी चिंता के सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए एक्टिव रह सकती है।
- सोशल मीडिया पर अपनी निजी तस्वीरें डालने से बचें अन्यथा उनका कोई भी इस्तेमाल करते हुए दुरूपयोग कर सकता है।
- यदि तस्वीरें डालना चाहते है तो अपने फेसबुक अकाउन्ट पर अपनी प्राईवेसी सेटिंग को पब्लिक ना करें।

- सेटिंग ऐसे रखे कि आपकी फोटो आपके दोस्त या आपसे जुड़े हुए लोग ही देख पाऐं। अंजान लोग उन तक ना पहुंच सकें।
- अगर साईबर हमलावर फिरौती मांगे तो ना दें।
- अपने नाम के बारे में गूगल पर हमेशा सर्च करते रहे, ताकि आपको पता रहे कि आपका नाम कहां पर और किस वेबसाईट पर आ रहा है।
- अगर किसी गलत जगह पर या ऐसी जगह पर आपको अपना नाम दिखाई देता है, जिसकी अनुमति आपने नहीं दी है तो उसे तुरन्तर हटाने के लिए कार्यवाही करें।
- अंजान लोगों को फेसबुक पर ना जोड़ें। कई बार ऐसा करने से नुकसान भी हो सकता है। प्रोफेशनल लोगों को लिंक्ड इन पर जोड़े, फेसबुक पर उनके साथ ना जुड़े।
- ट्विटर के ऊपर बिल्कुल भी निजी तस्वीरें ना डाले। यह एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाईट नहीं है, यह एक ट्विटिंग प्लेट फार्म है।
- ट्विटर पर ऐसी सेटिंग की जा सकती है कि आपकी अनुमति के बिना लोग आपको फोलो ना कर सकें। सेटिंग्स को ज्यादा निजी करके आपका अकाउन्ट ज्यादा सुरक्षित रह सकता है।
- अगर आप किसी समस्या में फस भी जाते है तो घबरायें नहीं, बल्कि पुलिस को इसकी जानकारी दें।

उपचार

देश में महिलाओं के विरूद्ध होने वाले साईबर क्राईम पर लगाम कसने के लिए गृह मंत्रालय ने एक वेब पोर्टल भी लोंच किया हुआ है, जहां पर क्राईम संबंधित ऑनलाईन शिकायत दर्ज की जा सकती है, इसके अलावा गृह मंत्रालय ने हेल्पलाईन नम्बर भी जारी किया हुआ है, जहां पर फोन के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

- साईबर क्राईम की शिकायत के लिए हेल्पलाईन नम्बर–1913
- नेशनल वुमेन हेल्पलाईन नम्बर – 181

विधिक उपचार

इन्टरनेट और सोशल मीडिया के दौर में साईबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए हमारे देश में कई अधिनियम बनाये गये है, जो साईबर अपराधों से हमें सुरक्षा प्रदान करते हुए विधिक उपचार उपलब्ध कराते है, परन्तु जागरूकता के अभाव में आम जनता इन कानूनों का सही प्रकार से फायदा नहीं उठा पाती। साईबर अपराधों से संबंधित कानून निम्न प्रकार है –

- सिनिमेटोग्राफ एक्ट 1952
- भारतीय दण्ड संहिता 1860
- इंडीसेंट रिप्रजेंटेशन ऑफ वुमेन (प्रोहेबिशन) एक्ट 1986
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000
- सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008
- सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021
- राष्ट्रीय महिला आयेाग द्वारा भी एक केन्द्रीय ऑथोरिटी का गठन किया गया है।

सुझाव

- कभी भी संदिग्ध लिंक का अटेचमेन्ट पर क्लिक ना करें।
- अपने वेबकेम को कवर करें।
- पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर के साथ एन्टीवायरस सॉफ्टवेयर लगाये तथा सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें।
- सुरक्षित ब्राउजर सेटिंग सेट करें।

- अपनी ऑनलाईन मोजूदगी उसी तरह सुरक्षित करें, जैसे आप स्वयं को सुरक्षित करते है।
- सोशल मीडिया पर उपयुक्त प्राईवेसी सेटिंग और कन्टेन्ट शेयरिंग फिल्टर का चयन करें, ताकि आपकी अपनी जानकारी फोटो और वीडियो अपने विश्वसनीय लोगों के साथ ही साझा करें।
- सोशल मीडिया के अंजान लोगों के फ्रेण्ड रिक्वेस्ट को स्वीकार करने के बारे में सलेक्टिव रहें तथा ऐसे किसी भी व्यक्ति को ब्लॉक करना सीखे जो आपको असहज बना रहा है।
- यह सीखें कि आप अपनी मित्र सुची से किसी अनचाहे व्यक्ति को किस प्रकार रिमुव किया जाये।
- उपयोग के बाद सोशल मीडिया वेसाईट से लॉग आउट करना याद रखें।
- अपने फोन को पासवर्ड से सुरक्षित करें।
- यदि आपको लगता है कि आपका फर्जी अकाउन्ट बनाया गया है तो आप तुरन्त सोशल मीडिया सेवा प्रदाता को सूचित करें, ताकि अकाउन्ट को ब्लॉक किया जा सकें।
- वीडियो चेट और वीडियो कॉल पर अपनी मोजूदगी पर ध्यान दें तथा अनजान व्यक्तियों से चेट या वीडिया अनुरोध स्वीकार करते समय सावधान रहें।
- संवेदनशील व्यक्तिगत तस्वीरों और वीडियो लेने के लिए स्मार्ट फोन का प्रयोग ना करें।
- अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे फोन नम्बर, ई–मेल, पता, तस्वीरें आदि अज्ञात व्यक्तियों के साथ साझा करने से बचें।
- नकली सोशल मीडिया अकाउन्ट्स से बचें, क्योंकि सभी अकाउन्ट वास्तविक नहीं होते तथा अकाउन्ट पर दी गई सभी जानकारी सही होने की संभावना भी कम होती है।
- संवेदनशील ब्राउजर से सतर्क रहें तथा अपने संचार उपकरणों को सुरक्षित रखें।
- यदि आपको बाल अश्लीलता या यौन सोशल कन्टेन्ट मिलें तो इस संबंध में रिपोर्ट करें।
- उपरोक्त सावधानियां बरतकर महिलाऐं सोशल मीडिया के माध्यम से उनके विरूद्ध हो रहे साईबर अपराधों से काफी हद तक मुक्ति पा सकती है और सही और उचित प्रकार के सोशल मीडिया का उपयोग उपभोग करते हुए सोशल मीडिया का लाभ प्राप्त कर सकती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. सुधा रानी श्रीवास्तव – ''महिलाओं के प्रति अपराध'' (प्रथम संस्करण 2017)
2. डॉ. रजनी कश्यप – ''Crime Against Women'' (प्रथम संस्करण 2016)
3. Dr. Minakshi Tomar – "Sexual offences against Women" (Ed: 1st 2021)
4. राट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990
5. अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956
6. सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008
7. सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021
8. www.orfonline.org.
9. www.drishtiias.com
10. www.hi.quora.com
11. www.dzirenews.com
12. www.fromtimesnowhindi.com
13. www.cybercrime.gov.in

❖◆❖